

आदेश-पत्रक

(दिखे अभिलेख-हस्तक 1941 का नियम 129)

शिरजा देवी

आदेश पत्रक संख्या- से तक

जिला- वाद संख्या- 156... सन् 2022

केस का प्रकार- भूमि विहीन अनुमति

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित												
1	2	3												
2/11/22	श्रीशैल कुमार पिता. एवम जितु राम साठ-यमरडीहा थाना-बरगडीहा जिला- लातेहार के द्वारा अपनी भूमि की दौखाना कार्रकारी अधिनियम की धारा-46 के तहत शिरजा देवी पति-एवम राजकिशोर राम साठ-दिपाडीहा थाना-दिपाडीहा जिला- लातेहार को बिक्री के लिए अनुमति अर्पित समिति दिया गया है। भूमि का विवरण निम्नवत् है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खेत सं०</th> <th>मालिक</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>यमरडीहा</td> <td>19</td> <td>123, 124</td> <td>0.0833 ए० 0.0466 ए०</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>कुल - 0.1299 ए०</td> </tr> </tbody> </table> दोनों अनुपस्थित किंग 13/12/22 से हैं। 13-12-2022 अभिलेख उपस्थापित । निकेत - दोनों अनुपस्थित वाद में केस - इतिहास के अन्तर्गत में वाद समाप्त किया जाता है 13/12/22	मौजा	खेत सं०	मालिक	रकबा	यमरडीहा	19	123, 124	0.0833 ए० 0.0466 ए०				कुल - 0.1299 ए०	
मौजा	खेत सं०	मालिक	रकबा											
यमरडीहा	19	123, 124	0.0833 ए० 0.0466 ए०											
			कुल - 0.1299 ए०											